रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 1992/पौष 12, 1913
No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 1992/PAUSA 12, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1992

(आय-कर)

का आ 4(अ)--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात --

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (प्रथम) संशोधन नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आय-कर नियम 1962 के भाग 2 में उपभाग 3 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात.--

"च--सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति

11च साधारण-- इस उपभाग में "राष्ट्रीय समिति" से धारा 35कग में परिभाषित राष्ट्रीय समिति अभिप्रेत है।

11छ राष्ट्रीय समिति की संरचना---(1) राष्ट्रीय समिति में चौदह सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक विख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।

(2) किसी सदस्य की पदावधि अधिसूचना की तारीख से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्ष के लिए होगी।

(3) राष्ट्रीय समिति के सदस्यों में से एक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में और नये अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक कोई अन्य सदस्य राष्ट्रीय समिति द्वारा वह रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित किया जा सकेगा। यदि किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित है तो बैठक में उपस्थित सदस्य उस दिन की बैठक में पीठासीन होने के लिए अपने में से किसी एक को निर्वाचित कर सकेंगे।

(4) राष्ट्रीय समिति समय-समय पर विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के क्रियाकलापों की देख-भाल करने के लिए अपने सदस्यों में से एक या अधिक उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी। राष्ट्रीय समिति किसी विशेषज्ञ को तकनीकी प्रकृति के किसी विषय की परीक्षा करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

11ज मुख्यालय और सचिवालय.--(1) राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । इसकी बैठकें नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर होंगी जो केन्द्रीय सरकार विनिश्चित करे ।

(2) समिति के सचिवालय की व्यवस्था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी और भारत सरकार के राजस्व विभाग का संयुक्त सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

11झ कृत्य.--(1) राष्ट्रीय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे--

(i) किसी पात्र परियोजना या स्कीम को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए संगमों और संस्थाओं को अनुमोदित करना; और

(ii) केन्द्रीय सरकार को किसी कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी सहित, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अनुमोदित संगम या संस्था की किसी परियोजना और स्कीम को धारा 35कग के प्रयोजनों के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों के रूप में अधिसूचित करने के लिए सिफारिश करना ।

11-ञ. संगमों और संस्थाओं के अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत.--किसी संगम या संस्था को अनुमोदन देने के लिए राष्ट्रीय समिति अपना समाधान करेगी कि--

(i) संगम या संस्था--

(क) लोक पूर्त न्यास के रूप में गठित की गई है; या

(ख) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम के तत्समान किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

(ii) संगम या संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति सिद्ध सत्यनिष्ठा के व्यक्ति हैं,

(iii) संगम या संस्था के क्रियाकलाप भारत के नागरिकों के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के विभेद के बिना खुले हैं और उनके बारे में यह व्यक्त नहीं किया गया है कि वे किसी व्यक्ति या समुदाय के लाभ के लिए हैं;

(iv) संगम या संस्था अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित लेखा रखता/रखती है; और

(v) उस लिखित में जिसके अधीन संगम या संस्था गठित की गई है या संगम या संस्था को शासित करने वाले नियमों या विनियमों में पूर्त प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए संगम या संस्था की सम्पूर्ण आय या आस्तियों अथवा उसके किसी भाग के किसी समय अन्तरण या उपयोजन के लिए कोई उपबन्ध नहीं है ।

11ट. परियोजनाओं या स्कीमों को सिफारिश करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत :--राष्ट्रीय समिति पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के लिए किसी परियोजना या स्कीम के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करने में अपना समाधान करेगी कि--

(i) परियोजना या स्कीम निम्नलिखित एक या अधिक उपबंधों से संबंधित है :--

(क) ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय गंदी-बस्तियों में पेय जल, परियोजनाओं का संनिर्माण और अनुरक्षण, जिनके अन्तर्गत पेय जल के प्रदाय के लिए पम्प सेटों का लगाया जाना, कूओं, ट्यूबवैलों का खोदा जाना और पाइपों का बिछाया जाना है;

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निवास-एककों का संनिर्माण ;

(ग) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक रूप से स्कूल की इमारतों का संनिर्माण;

(घ) ऊर्जा प्रणालियों के गैर-परम्परागत और नवीकरणीय स्रोतों की स्थापना और उन्हें चलाना ;

(ङ) पुलों, लोक राजमार्गों और अन्य सड़कों का संनिर्माण और अनुरक्षण;

(च) ग्रामीण गरीबों या नगरीय गंदी-बस्ती निवासियों के उद्धार के लिए कोई अन्य कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय समिति समर्थन के लिए ठीक समझे;

(ii) परियोजना या स्कीम का फायदा साधारणतया जनता को या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को होगा ;

(iii) आवेदक के पास आवश्यक विशेषज्ञ कार्मिक और परियोजना या स्कीम के दक्ष कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रसुविधाएं हैं;

(iv) आवेदक पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में पृथक लेखाओं को रखेगा ।

11ठ. राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी संगम या संस्था के अनुमोदन के लिए या किसी परियोजना या स्कीम की सिफारिश के लिए आवेदन.--(1) धारा 35कग के प्रयोजनों के लिए किसी संगम या संस्था के अनुमोदन के लिए या किसी परियोजना या स्कीम को सिफारिश के लिए आवेदन सचिव, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति, राजस्व विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 को किया जा सकेगा ।

(2) आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अंग्रेजी में या हिन्दी में लिखा होना चाहिए तथा उसके साथ आवेदक के नाम, पते और प्राप्तिस्थि, उस जिले/वार्ड/सर्किल के, जहां वह निर्धारित किया जाता है/रजिस्ट्रीकृत है, स्थायी लेखा संख्यांक के बारे में ब्यौरे, सबसे अंत के वर्ष के लिए जिसके लिए वे उपलब्ध हो और दो पूर्ववर्ती वर्षों के लिए संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा अथवा आय और व्यय का लेखा होना चाहिए ।

(3) किसी संगम या संस्था के अनुमोदन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होनी चाहिए और उसके साथ सुसंगत दस्तावेज होने चाहिएं--

(i) संगम या संस्था का नाम और पता,

(ii) कैसे गठित किया गया (न्यास, सोसाइटी, आदि के रूप में) जो सुसंगत दस्तावेजों, जैसे विलेख, नियमों और विनियमों, संगम ज्ञापन आदि और रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, द्वारा समर्थित हो;

(iii) संगम या संस्था के कार्यकलापों का प्रबंध करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान संगम या संस्था के कार्यकलापों का प्रबंध किया था;

(iv) यदि संगम या संस्था आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 खंड (23ग) के उपखंड (iv) या (v) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया/की गई है या धारा 80ज के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित है तो दिए गए अनुमोदन की विशिष्टियां;

(v) आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान संगम या संस्था के क्रियाकलापों की संक्षिप्त विशिष्टियां;

(vi) अन्य जानकारी, जो संगम या संस्था राष्ट्रीय समिति के समक्ष रखना चाहिए ।

(4) किसी परियोजना या स्कीम की सिफारिश के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होनी चाहिएं और उसके साथ सुसंगत दस्तावेज होने चाहिएं —

(i) परियोजना या स्कीम का नाम;

(ii) प्रारम्भ की तारीख

(iii) पूरा किए जाने की अवधि और सम्भावित तारीख ;

(iv) परियोजना या स्कीम की प्राक्कलित लागत जो यथास्थिति फर्म, संस्था या स्थानीय प्राधिकरण की प्रबन्ध समिति या कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प की प्रति द्वारा समर्थित हो;

(v) उन व्यक्तियों का, जिन्हें परियोजना या स्कीम से फायदा होने की संभावना है, प्रवर्ग या वर्ग;

(vi) यह प्रतिज्ञान कि परियोजना या स्कीम से कोई फायदा, किए गए पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य के लिए पारिश्रमिक या मानदेय या परियोजना से संबंधित वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति से अन्यथा, संगम या संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने वाले व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों को, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नहीं हैं, प्रोद्भूत नहीं होगा।

(vii) जहां परियोजना या स्कीम कम्पनी द्वारा निष्पादित की जानी है, वहां इस बारे में जानकारी कि परियोजना या स्कीम ऐसी है जिसकी कम्पनी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या कर्मचारियों के साथ करार के अधीन या अन्यथा निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की जाती है;

(viii) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आवेदक राष्ट्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे।

11ङ. राष्ट्रीय समिति के समक्ष प्रक्रिया :—(1) 11ठ के अधीन सभी आवेदन राष्ट्रीय समिति के सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाने चाहिए और उन पर राष्ट्रीय समिति द्वारा उस तारीख के, जिसको आवेदन परिचालित किया जाता है, कम से कम सात दिन पश्चात उसकी बैठक में विचार किया जाएगा। आपवादात्मक मामलों में, अध्यक्ष सूचना की अवधि कम कर सकता है और यह भी निदेशित कर सकता है कि आवेदन पर केवल परिचालन द्वारा विचार किया जाए।

(2) राष्ट्रीय समिति आवेदक से ऐसी अन्य जानकारी मांग सकती है जो वह आवेदन पर विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे और अपने सचिव को यह भी निदेश दे सकती है कि वह आवेदन से संबंधित किसी विषय पर जांच करे या करवाए।

(3) किसी आवेदन पर विनिश्चय करने के लिए गणपूर्ति कम से कम अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों से होगी। यदि कोई बैठक गणपूर्ति की कमी के कारण कोई विनिश्चय किए बिना स्थगित हो जाती है तो स्थगित बैठक में विनिश्चय उपस्थित सदस्यों द्वारा अपेक्षित गणपूर्ति के बिना भी किया जा सकता है।

(4) किसी संगम या संस्था का अनुमोदन ऐसी अवधि के लिए होगा जिसका राष्ट्रीय समिति विनिश्चय करे, जो साधारणतया एक समय में तीन वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगा। पश्चातवर्ती अनुमोदन, यदि और अवधि के लिए प्रोक्षित हो तो केवल तभी दिए जा सकते हैं जब राष्ट्रीय समिति का अनुमोदन की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान संगम या संस्था के कार्यकलापों के बारे में समाधान हो जाता है।

(5) राष्ट्रीय समिति सामान्यतः केन्द्रीय सरकार को किसी परियोजना या स्कीम के प्रारंभ में तीन वित्तीय वर्षों तक की अवधि के लिए पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में, अधिसूचित किए जाने के लिए सिफारिश करेगी। यदि परियोजना या स्कीम का तीन वित्तीय वर्षों से अधिक के लिए विस्तार किए जाने की संभावना है तो राष्ट्रीय समिति एक समय पर तीन वर्ष की अवधि के लिए यह समाधान हो जाने के पश्चात और सिफारिश करेगी कि यथास्थिति, परियोजना या स्कीम समुचित रूप से निष्पादित की जा रही है। इस प्रयोजना के लिए राष्ट्रीय समिति परियोजना या स्कीम के निष्पादन को मानीटर कर सकती है और ऐसी जानकारी मांग करती है जो वह आवश्यक समझे।

11छ. अन्य उपबन्ध :—(1) राष्ट्रीय समिति का सदस्य किसी परिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

(2) सदस्यों को राष्ट्रीय समिति की प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें कोई सदस्य हाजिर हुआ हो, 250 रु. तक की बैठक फीस का संदाय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वे वायु, रेल या सड़क द्वारा यात्रा के वास्तविक खर्च और ठहरने तथा स्थानीय परिवहन के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे किन्तु ऐसा उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यय के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपबन्धित सीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

(3) किसी कम्पनी द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना या स्कीम को अनुमोदन देने के लिए राष्ट्रीय समिति जहां कोई व्यय किसी पूंजी आस्ति के अर्जन या निर्माण में उपगत किया जाना है, अपना यह समाधान करेगी कि आवेदक कम्पनी ने नकद प्रतिफल के बिना या अन्यथा पात्र परियोजना के पूरा होने पर सुरत ऐसी आस्ति के स्वामित्व से अपने आपको अलग करने के लिए निम्नलिखित रीति में पर्याप्त व्यवस्था की है :

(i) पेय जल परियोजना की दशा में, यथास्थिति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को या स्थानीय प्राधिकरण या ग्राम पंचायत को;

(ii) निवास एककों की दशा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को या निवास स्थान के लिए आवश्यकता पूरी करने के प्रयोजन के लिए अधः शहरों, नगरों और ग्रामों के विकास या उन्नति के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन गठित ऐसी स्थानीय प्राधिकरण, ग्राम पंचायत का किसी प्राधिकरण को जिसका राष्ट्रीय समिति विनिश्चय करे;

(iii) स्कूल की इमारतों की दशा में, शैक्षणिक संस्था को, जो केवल शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान हो, न कि लाभ के लिए या राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण या किसी ग्राम पंचायत को;

(iv) गैर-परम्परागत या नवीकरणीय ऊर्जा पद्धतियों की दशा में जिला प्रशासन स्थानीय प्राधिकरण, ग्राम पंचायत को या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को या ऐसे अन्य कानूनी निकाय को जिसका राष्ट्रीय समिति विनिश्चय करे;

(v) पुलों, लोक राजमार्गों या अन्य सड़कों की दशा में, केन्द्रीय या राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण या अन्य ऐसे कानूनी निकाय को, जिसका राष्ट्रीय समिति विनिश्चय करे;

(vi) पात्र परियोजना या स्कीम के प्रयोजन के लिए क्रय किए गए उपस्करों की दशा में राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे अन्य कानूनी निकाय को, जिसका राष्ट्रीय समिति लाभपूर्वक ऐसे उपस्करों का उपयोग करने के लिए, सम्पृक्त प्राधिकरण की क्षमता का ध्यान रखते हुए विनिश्चय करे।

टिप्पण : जहां किसी पात्र परियोजना/स्कीम के पूरा किए जाने के पूर्व कम्पनी अन्य पात्र परियोजना (परियोजनाओं)/स्कीम (स्कीमों) को हाथ में लेती है और उपस्करों को ऐसी पश्चातवर्ती परियोजना/स्कीम को अन्तरित करती है वहां कम्पनी से यह अपेक्षित होगा कि वह स्वयं को अन्तिम पात्र परियोजना/स्कीम के पूरा करने के पश्चात ही उपस्करों के स्वामित्व से अलग करे।

(vii) किसी अन्य दशा में ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जिसका राष्ट्रीय समिति विनिश्चय करे।

(4) किसी पात्र परियोजना स्कीम के पूरा होने पर तुरन्त कम्पनी उसके निष्पादन के ब्यौरे, राष्ट्रीय समिति को देगी। राष्ट्रीय समिति अपना समाधान करेगी कि परियोजना स्कीम दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूरी की गई है और यह कि कम्पनी ने राष्ट्रीय समिति द्वारा विहित की गई रीति में स्वयं की आस्तियों से अलग कर लिया है। यदि राष्ट्रीय समिति का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह प्रस्तावित कार्रवाई पर सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् अनुमोदन को वापस लेने का आदेश कर सकेगी जो कि तब कभी नहीं दिया गया समझा जाएगा।

[सं. 8936 फा. सं. 133/222/91 टी पी एल]

के. एस. सुल्तान निदेशक, (टी पी एल)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi the 2nd January, 1992

INCOME-TAX

S.O. 4(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Part II of the Income-tax Rules, 1962, after sub-part E, the following shall be inserted, namely:—

"F"—National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare

11F. General.—In this sub-part, "National Committee" means the National Committee defined in section 35AC.

11G. Composition of the National Committee.—

(1) The National Committee shall consist of fourteen members appointed by the Central Government from amongst persons of eminence in public life.

(2) The term of office of a member shall be for three years commencing on the date of notification.

(3) One of the members of the National Committee shall be appointed as Chairman by the Central Government. In the event of vacancy of the office of Chairman for any reason, and until a new Chairman is appointed, any other member may be elected by the National Committee to fill the vacancy. If, for any meeting, the Chairman is absent, the members present for the meeting may elect one amongst themselves to preside over the day's sitting.

(4) The National Committee may appoint one or more sub-committees from among its members for looking into specific areas of activity from time to time. The National Committee may invite any expert to examine any matter of technical nature.

11H. Headquarters and Secretariat.—(1) The headquaters of the National Committee shall be at New Delhi. Its sittings shall take place at New Delhi or such other place as the Central Government may decide.

(2) Secretariat to the Committee will be provided by the Department of Revenue Minis ry of Finance. Government of India and a Joint Secretary to the Government of India, in the Department of Revenue shall act as Secretary to the Committee.

11-I. Functions.—(1) The functions of the National Committee shall be—

(i) to the approve associations and institution for the purpose of carrying out any eligible project or scheme and

(ii) to recommend to the Central Government projects and schemes of any company including a public sector company, a local authority or an approved association or institution, for being notified as eligible projects or schemes for the purposes of section 35AC.

11J. Guidelines for approval of associations and institutions.—In according approval to any association or institution, the National Committee shall satisfy itself that,—

(i) the association or institution is—

(a) constituted as a public chartitable trust; or

(b) registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act 21 of 1860) or under any law corresponding to that Act in force in any part of India; or

(c) registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956);

(ii) persons managing the affairs of the association or institution are persons of proven integrity;

(iii) the activities of the association or institution are open to citizens of India without any distinction of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them and are not expressed to be for the benefit of any individual or community;

(iv) the association or institution maintains regular accounts of its receipts and expenditure ; and

(v) the instrument under which the association or institution is constituted does not, or the rules or regulations governing the association or institution do not contain any provision for the transfer or application, at any time, of the whole or any part of the income or assets of the association or institution for any purpose other than a charitable purpose.

11K. Guidelines for recommending projects or schemes.—In making recommendations to the Central Government with regard to any project or scheme for being notified in the Official Gazette as an eligible project or scheme the National Committee shall satisfy itself that,—

(i) the project or scheme relates to the provisions of one or more of the following :—

(a) construction and maintenance of drinking water projects in rural areas and in urban slums, including installation of pumpsets, digging of wells, tube-wells and laying of pipes for supply of drinking water ;

(b) construction of dwelling units for the economically weaker sections ;

(c) construction of school buildings primarily for children belonging to the economically weaker sections of the society ;

(d) establishment and running of non-conventional and renewable sources of energy systems ;

(e) construction and maintenance of bridges, public highways and other roads ;

(f) any other programme for uplift of the rural poor or the urban slum dwellers, as the National Committee may consider fit for support ;

(ii) the benefit of the project or scheme shall flow to the public in general or to individuals belonging to the economically weaker section of the society ;

(iii) the applicant has the necessary expertise, personnel and other facilities for efficient implementation of the project or scheme ;

(iv) the applicant shall maintain separate accounts in respect of the eligible project or scheme.

11L. Application for approval of an association or institution or for recommendation of a project or scheme by the National Committee.—(1) An application for approval of an association or institution or for recommendation of a project or scheme by the National Committee for the purposes of section 35AC may be made to the Secretary to the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, Department of Revenue, Government of India, North Block, New Delhi-110001.

(2) The application should be submitted in 2 sets written either in English or Hindi and should be accompanied with details about the name, address and status of applicant, the district|ward|circle where assessed|registered, permanent account number audited balance sheet and profit and loss account or income and expenditure account for the latest year for which these are available and two preceding years.

(3) The application for approval of an association or institution should contain the following particulars and be accompanied, with relevant documents :

(i) Name and address of the association or institution ;

(ii) How constituted (whether as a trust, society etc.) supported by relevant documents like trust deed, rules and regulations, memorandum of association etc. and registration certificate, if any.

(iii) Names and addresses of the persons managing the affairs of the association or institution, including those who had, at any time during the three years preceding the date of application, managed the affairs of the association or institution ;

(iv) If the association or the institution is notified by the Central Government for the purposes of sub-clauses (iv) or (v) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or is approved for the purposes of section 80G, the particulars of the approval granted ;

(v) Brief particulars of the activities of the association or institution during three years preceding the date of application ;

(vi) Such other information as the association or institution may like to place before the National Committee.

(4) The application for recommendation of a project or scheme should contain the following particulars and be accompanied, with relevant documents :—

(i) Title of project or scheme ;

(ii) Date of commencement ;

(iii) Duration and the likely date of completion ;

(iv) Estimated cost of the project or scheme duly supported by a copy of the resolution of the Managing Committee of the association, institution or the local authority or, as the case may be, the Board of Directors of the company ;

(v) Category or class of persons who are likely to be benefited from the project or scheme ;

(vi) Affirmation that no benefit from the project or scheme, other than remuneration or honorarium for whole time or part-time work done or for reimbursement of actual expenses related to the project, will accrue to persons managing the affairs of the association or institution or to individuals not belonging to the economically weaker section of the society ;

(vii) Where the project or scheme is to be executed by a company, information about whether the project or scheme is such which the company is required to execute under any law for the time being in force or under agreement with employees or otherwise ;

(viii) Such other particulars as the applicant may like to place before the National Committee.

11M. Procedure before the National Committee.—(1) All applications under rule 11L should be circulated by the Secretary to the National Committee